

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—श्री हेमेन्द्र नागर, आरएएस,

प्रकरण संख्या:— 11/2017 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांक:— 01.11.2017

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

-----प्रार्थी

बनाम

श्री कृष्णनाथ पिता गोपाल नाथ निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

-----अप्रार्थी / गैरसायल


:-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975:-

उपस्थित:—1—श्री मनोहरलाल कुमावत— अधिवक्ता गैरसायल

:—निर्णय:—

दिनांक:— 31 जनवरी 2018

1—श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/ आदेश/2010/1571-1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति का होकर जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरुद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरण पंजीबद्ध होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है। अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना अरनोद में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित है:—

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
1 प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
42/2017	13 आर.पी.जी.ओ.	03.02.17	25/17	दिनांक 01.03.2017 को दोषी करार एवं 100/- रु. जुर्माने से दण्डित
102/2017	13 आर.पी.जी.ओ.	24.03.17	72/2017	दिनांक 19.04.2017 को दोषी करार एवं 100/- रु. जुर्माने से दण्डित

2-मामला बाद पंजीबद्ध कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया । अप्रार्थी / गैरसायल अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित और जवाब में अपने उपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा वर्तमान में उक्त आरोपों के अनुसार कोई कार्य नहीं करना बताया तथा वर्तमान में बस में खलासी का कार्य व मजदूरी का कार्य करना बताया।

3- गैरसायल अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि गैरसायल वर्तमान में बस में खलासी का कार्य व मजदूरी का कार्य कर रहा है एवं पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण दर्ज किये गये वह लोगों के कहने से ना समझी में दर्ज हो गये थे।

4-हमने विद्वान अधिवक्ता गैरसायल की बहस को ध्यान से सुना और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया । जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी 'गुण्डा' कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो । जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध अप्रार्थी / गैरसायल के 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है, लेकिन विगत 6 माह की अवधि में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 गैरसायल के विरुद्ध दायर प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है एवं साथ ही गैरसायल को भी चैतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में उपरोक्त कार्यों की पुनरावृत्ति न करे। थानाधिकारी अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक से 3 माह तक गैरसायल की गतिविधियों पर नजर रखे। इन 3 माह की अवधि में यदि गैरसायल द्वारा कोई ऐसा कृत्य फिर किया जाता है तो सूचना पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के मार्फत इस न्यायालय को भिजावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ / थानाधिकारी अरनोद को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।





(हेमेन्द्र नागर)

आर.ए.एस.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
प्रतापगढ़ (राज.)